न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

(2)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिनेश कुमार मीणा आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या दावा / 96 / 2021 दायर दिनांक 21.12.2021

उनवान

1. जगदीश पि. पूरीलाल जाति दांगी नि. उन्हेल तहसील सुनेल

– वादी

बनाम

1. गोरधनलाल पि. विष्णु जाति दांगी नि. उन्हेल तहसील सुनेल
2. चन्दरबाई पत्नि स्व. विष्णु जाति दांगी नि. उन्हेल तहसील सुनेल
3. जगदीशचन्द पि. विष्णु जाति दांगी नि. उन्हेल तहसील सुनेल
4. दिनेशचन्द पि. विष्णु जाति दांगी नि. उन्हेल तहसील सुनेल
5. सुमित्राबाई पत्नि बालाराम जाति ब्राहमण नि. रोशनबाडी तहसील रायपुर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर जिला झालावाड़

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188, 209 आर०टी०एक्ट

उपस्थिति :–

अभिभाषक वादी :– श्री सुभाष दांगी

प्रतिवादी सं. 1 से 4 :– एकतरफा

प्रतिवादी सं. 5 :– स्वयं

निर्णय

दिनांक 30 .06.2025

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी उपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रस्तुत वाद अर्न्तगत धारा 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में ग्राम रोशनबाड़ी तहसील रायपुर की जमाबंदी सं. 2073–76 के खाता संख्या सं. 108 के खसरा न 748 रकबा 2.6937 हैक्टेयर के संबंध में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.01.2025 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं मौके पर कब्जा काश्त के आधार पर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान काष्तकारी (सरकारी) नियमों के परिपेक्ष्य में वादग्रस्त आराजी का खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये गये थे उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार रायपुर द्वारा पत्र कमांक / राजस्व / 2025 / 672 दिनांक 27.05.2025 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया जिस पर अभिभाषक वादी [illegible] सुनी गई। अभिभाषक वादी की सहमति के आधार पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.02 10:33:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

(6)

अतः इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 15.01.2025 अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम रोशनवाड़ी तहसील रायपुर की जमाबंदी सं. 2073–76 के खाता संख्या सं. 108 के खसरा न 748 रकबा 2.6937 हैक्टेयर भूमि में तहसीलदार रायपुर से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। अतः वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है।

क्र.	खातेदार का नाम	ख0नं0	रकबा है.	दिशा
1	जगदीश पि. पूरीलाल जाति दांगी नि. उन्हेल रहन BOB झालावाड	748	1.0774	दक्षिण पश्चिम
2	गोरधनलाल पि. विष्णु हि. 1/5 रहन BOB झालावाड चन्दरबाई पत्नि स्व. विष्णु हि. 167/2500 रहन BOB झालावाड जगदीशचन्द पि. विष्णु हि. 1/5 रहन BOB झालावाड दिनेशचन्द पि. विष्णु हि. 1/5 रहन BOB झालावाड जाति दांगी नि. उन्हेल सुमित्राबाई पत्नि बालाराम हि. 833/2500 जाति ब्राहमण नि. रोशनबाडी रहन BOB भवानीमण्डी	748	1.6163	उत्तर पूर्व

तहसीलदार रायपुर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। फाइनल डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/6/25

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड (राज0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.02 10:33:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

फाईनल डिक्री मुकदमा इजराई
(ऑo 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिनेश कुमार मीणा आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या दावा / 96 / 2021 दायर दिनांक 21.12.2021

उनवान

1. जगदीश पि. पूरीलाल जाति दांगी नि. उन्हेल तहसील सुनेल

– वादी

बनाम

1. गोरधनलाल पि. विष्णु जाति दांगी नि. उन्हेल तहसील सुनेल
2. चन्दरबाई पत्नि स्व. विष्णु जाति दांगी नि. उन्हेल तहसील सुनेल
3. जगदीशचन्द पि. विष्णु जाति दांगी नि. उन्हेल तहसील सुनेल
4. दिनेशचन्द पि. विष्णु जाति दांगी नि. उन्हेल तहसील सुनेल
5. सुमित्राबाई पत्नि बालाराम जाति ब्राहमण नि. रोशनबाडी तहसील रायपुर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर जिला झालावाड़

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 आर0टी0एक्ट

उपस्थिति :–

अंभिभापक वादीगण :– श्री सुभाष दांगी

प्रतिवादी सं. 1 से 4 :– एकतरफा

प्रतिवादी सं. 5 :– स्वयं

मिनजानित मुदई रूबरू ....X..........................मिनजाविन

मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि –

इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 15.01.2025 अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम रोशनबाड़ी तहसील रायपुर की जमाबंदी सं. 2073–76 के खाता संख्या सं. 108 के खसरा न 748 रकवा 2.6937 हैक्टेयर भूमि में तहसीलदार रायपुर से प्राप्त वंटवारा प्रस्ताव अनुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। अतः वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है।

क्र.	खातेदार का नाम	ख0नं0	रकवा है.	दिशा
1	जगदीश पि. पूरीलाल जाति दांगी नि. उन्हेल रहन BOB झालावाड	748	1.0774	दक्षिण पश्चिम
2	गोरधनलाल पि. विष्णु हि. 1/5 रहन BOB झालावाड चन्दरबाई पत्नि स्व. विष्णु हि. 167/2500 रहन BOB झालावाड जगदीशचन्द पि. विष्णु हि. 1/5 रहन BOB झालावाड	748	1.6163	उत्तर पूर्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.02 10:33:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

	दिनेशचन्द पि. विष्णु हि. 1/5 रहन BOB झालावाड जाति दांगी नि. उन्हेल सुमित्राबाई पत्नि बालाराम हि. 833/2500 जाति ब्राहमण नि. रोशनवाडी रहन BOB भवानीमण्डी			

(8)

. तहसीलदार रायपुर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

30/6/25

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

निज ....X..............मुबालिक ....X................ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बषारह ......X.............फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X............. अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 30 .06.2025 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * पिड़ावा जिला झालावाड़ *

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.02 10:33:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner